



Food Safety and Standards Authority of India, Regional Office, Mumbai
Unit No.:1202, 12th Flr, Hallmark Business Plaza, Bandra (East), Mumbai, Pin-400051

14.11.2023

Office order No.25/2023

In compliance with the provisions of the Right to Information Act, 2005, and as per the guidelines laid down by the Central Information Commission (CIC), Ms. Vaidehi Kalzunkar, Deputy Director is hereby nominated as the Central Public Information Officer (CPIO) for FSSAI/WRO

The CPIO is entrusted with the responsibilities of receiving and processing requests for information under the Right to Information Act, 2005, and ensuring compliance with the statutory obligations as laid down in the Act.

This order comes into immediate effect and will remain in force until further notice or until the appointment of a new CPIO.

All concerned departments and sections are directed to extend their full cooperation and support to the newly appointed CPIO in the discharge of their duties as per the Right to Information Act, 2005.

(Pritee Chaudhary, IRS)
Regional Director
FSSAI-WR, Mumbai

To,

Ms. Vaidehi Kalzunkar,
Deputy Director

Copy to:

1. ED, HR, Division FSSAI-HQ-for necessary action
2. Establishment Division FSSAI-HQ for publishing in official gazette.
3. IT division FSSAI-HQ for uploading in official website.
4. All department and offices for information.
5. DDO-FSSAI-WR-for information.
6. Copy to office order file.



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Email-aomumbai@fssai.gov.in

Contact no.022-40046392

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
1202, 12वीं मंजिल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, पिन-400051,

दिनांक: 14/11/2023

कार्यालय आदेश 25/2023

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सुश्री वैदेही कलजुनकर, उप निदेशक को एफएसएसएआई/डब्ल्यूआरओ के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया जाता है।

सीपीआईओ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त करने और संसाधित करने और अधिनियम में निर्धारित वैधानिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और अगली सूचना तक या नए सीपीआईओ की नियुक्ति तक लागू रहेगा।

सभी संबंधित विभागों और अनुभागों को निर्देश दिया जाता है कि वे नवनियुक्त सीपीआईओ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना पूरा सहयोग और समर्थन दें।

Sd/-

प्रीति चौधरी, भा. रा. से.
क्षेत्रीय निदेशक
एफ एस एस ए आई, पश्चिम क्षेत्र

प्रति:

सुश्री वैदेही कलजुनकर
उप निदेशक

प्रतिलिपि:

1. ईडी, मानव संसाधन, एफएसएसएआई-मुख्यालय- आवश्यक कार्रवाई के लिए
2. आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए स्थापना प्रभाग एफएसएसएआई-मुख्यालय।
3. आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड करने के लिए आईटी डिवीजन एफएसएसएआई-मुख्यालय।
4. जानकारी के लिए सभी विभाग और कार्यालय।
5. जानकारी के लिए डीडीओ-एफएसएसएआई-डब्ल्यूआर।
6. कार्यालय आदेश फ़ाइल